दिनांक : 07 जनवरी, 2014

सच्चाई बनाम झूठ– गुजरात 2002 दंगों की कहानी

अरुण जेटली
(राज्य सभा में विपक्ष के नेता)

मुझे शिक्षक और सक्रिय कार्यकर्ता, मधु पूर्णिमा किश्वर द्वारा लिखी गई पुस्तक ''मोदीनामा'' के मराठी संस्करण के विमोचन के अवसर पर 4 जनवरी, 2014 को पुणे आमंत्रित किया गया था। मधु कभी भी भाजपा की समर्थक नहीं रही। बल्कि अगर मुझे ठीक याद है तो पहले अनेक मौकों पर उन्होंने पार्टी की आलोचना की है। इस पुस्तक का अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण आना बाकी है। इसका मराठी संस्करण पुणे के विनीत कुबेर ने प्रकाशित किया है। यह पुस्तक लेखिका के कई महीने के अनुसंधान पर आधारित है। 2002 के दंगों के सिलसिले में उन्होंने अनेक लोगों के इंटरव्यू रिकॉर्ड किये और उनसे मिली जानकारी के आधार पर तथ्यों को इस पुस्तक में शामिल किया। विमोचन समारोह में जब मुझे बोलने का अवसर मिला, मैंने उन अनेक कदमों का उल्लेख किया जो 2002 के दंगों में नरेन्द्र मोदी को फंसाने के लिए लगातार प्रचार (या साजिश) के जरिये उठाए गए थे। मैंने इस बात की भी जानकारी दी कि इनमें से कुछ कोशिशें इसलिए नाकाम हो गईं क्योंकि ये झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई थीं।

मैं उन तीन महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी देना चाहूंगा जिनका मैंने अपने भाषण में उल्लेख किया।

igyk&lkcjerh ,Dli:l dk vkx fdlu yxkb

यह पहले ही दिन से स्पष्ट है कि गोधरा रेलवे स्टेशन पर, एक समुदाय से ताल्लुक रखने वाली गुमराह भीड़ ने साबरमती एक्सप्रेस के कम्पार्टमेंट नम्बर एस–6 को आग लगाई। आरंभ में इस मामले की जांच गुजरात पुलिस ने की और बाद में उच्चतम न्यायालय ने इसे एसआईटी को सौंप दिया। सुनवाई पूरी तरह एसआईटी की जांच पर आधारित थी जिसने साबित किया कि इस घटना से एक दिन पहले गोधरा में एक बैठक हुई थी। रेलवे स्टेशन तक गाड़ियों में ईंधन पहुंचाया गया। कम्पार्टमेंट एस–6 के दरवाजों को बाहर से सिटकिनी लगा दी गई ताकि कोई बाहर न निकल सके और हथियारों से लैस भीड़ ने कम्पार्टमेंट को आग लगा दी।

मीडिया के एक वर्ग और कुछ एनजीओ ने छल कपट का सहारा लेकर यह आरोप लगाने की कोशिश की कि ट्रेन को किसी ने बाहर से आग नहीं लगाई; आग कम्पार्टमेंट के अंदर से शुरु हुई। इस मामले में सुनवाई पूरी होने पर बड़ी संख्या में लोगों को दोषी ठहराया गया जिनके खिलाफ साजिश करने, दंगा करने और हत्या करने के आरोप लगे। दोषी व्यक्तियों की अपीलें लंबित हैं। इन भारी भरकम सबूतों के बावजूद, यूपीए–I ने अपने रेल मंत्री लालू यादव के जरिये एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति यू. सी. बनर्जी की अध्यक्षता में रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक समिति गठित कर दी। इस समिति ने शर्मनाक जानकारी देते हुए आरोप लगाया कि आग कम्पार्टमेंट के अंदर से शुरु हुई होगी। इस रिपोर्ट की कोई विश्वसनीयता नहीं रही और यह कूड़ेदान की भेंट चढ़ गई। न्यायिक फैसले में यह साबित हो गया कि इस रिपोर्ट का प्रत्येक तथ्य गलत है।

झूठे प्रचार का कारण यह स्थापित करना था कि हिन्दू समुदाय ने कम्पार्टमेंट को आग लगाई ताकि लोगों में उत्तेजना बढ़ने के कारण गुजरात में दंगे हों।

nl jk&fØ;k&ifrfØ;k dk lc/k e ekmh dk bVj0; !k d"kh ugh fn;k x;k

यह साबित करने के लिए कि गुजरात में हुई हिंसा को नरेन्द्र मोदी ने युक्तिसंगत ठहराया था, एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समाचारपत्र ने मार्च 2002 के पहले सप्ताह में मोदी का कथित 'इंटरव्यू' प्रकाशित किया। इस कथित इंटरव्यू में मोदी के हवाले से कहा गया कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गोधरा के बाद हुई हिंसा प्रतिक्रिया स्वरुप हुई। नरेन्द्र मोदी कहते रहे कि उन्होंने ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। सच्चाई तो यह है कि इंटरव्यू के लिए उस अखबार का कोई भी रिपोर्टर उनसे नहीं मिला। अतः यह आश्चर्यजनक है कि इंटरव्यू प्रश्न–उत्तर के रुप में प्रकाशित हो गया और ऐसा लगा जैसे मोदी ने हिंसा को उचित ठहराया हो। गुजरात सरकार ने अखबार को लिखा कि इस तरह का कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया है क्योंकि अखबार के किसी भी प्रतिनिधि की मुख्यमंत्री से कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन इसके बावजूद अगले 20 दिन तक इसे नहीं छापा गया। इसके बाद यह जानकारी संपादक को पत्र वाले कॉलम में एक पत्र के रुप में छापी गई और इसमें स्पष्टीकरण दिया गया कि किसी भी रिपोर्टर ने मोदी से मुलाकात नहीं की और न ही उनसे इंटरव्यू किया। यह इंटरव्यू मुख्यमंत्री की टिप्पणियों और जवाबों के आधार पर 'तैयार' किया गया जो किसी इलैक्ट्रॉनिक चैनल में आए थे।

rhljk e$;e%h dh &kj ij '()')'**' dh c,d

झूठ के पुलिंदे का यह तीसरा भाग था जिसके आधार पर नरेन्द्र मोदी के खिलाफ आरोप लगाए गए। मुख्यमंत्री के घर पर हुई एक बैठक में तत्कालीन मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, प्रधान सचिव (गृह) आदि और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। उसमें राज्य सरकार और पुलिस के आठ वरिष्ठतम अधिकारी मौजूद थे। ऐसा कोई अवसर नहीं था कि बैठक में पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी संजीव भट्ट मौजूद रहता। 2006 में पहली बार शिकायतकर्ता जाकिया जाफरी ने आरोप लगाया कि उस कथित बैठक में नरेन्द्र मोदी ने अधिकारियों से कहा था कि हिन्दू समुदाय को अपना गुस्सा निकालने की इजाजत दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस तरह का बयान देने का खंडन किया। इसके विपरीत कठोर कदम उठाने की योजना बनाई गई थी ताकि किसी प्रकार की हिंसा न हो, मुख्यमंत्री ने उसी समय बयान देकर लोगों से शांति बनाए रखने और बदले में किसी प्रकार की हिंसा में शामिल नहीं होने की अपील की थी। उस कथित बैठक के आठ वर्ष बाद संजीव भट्ट ने आरोप लगाया कि वह बैठक में मौजूद थे जहां इस तरह के उकसाने वाले बयान दिए गए थे। एसआईटी ने उन आठों अधिकारियों से पूछताछ की। सभी आठ अधिकारियों ने इस तरह के किसी बयान या संजीव भट्ट के बैठक में मौजूद होने का खंडन किया। एसआईटी को उस समय के कई सबूत मिले कि किस तरह कोशिश की गई कि संजीव भट्ट को गांधीनगर में मौजूद दिखाया जा सके जबकि ढेर सारे सबूतों से पता चल रहा था कि वह अहमदाबाद में मौजूद थे। इनमें कॉल डेटा रिकॉर्ड शामिल थे जिनसे किसी व्यक्ति की गतिविधियों की जानकारी मिल जाती है। कुछ अन्य सबूतों से पता चला कि किस प्रकार एनजीओ, एक्टीविस्ट और यहां तक कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोगों के साथ उस हलफनामे के मसौदे के बारे में सलाह की गई जिसे आरोप के समर्थन में पेश किया जाना था और राज्य सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही थी। एसआईटी ने स्पष्ट किया कि संजीव भट्ट बैठक में मौजूद नहीं थे और इस तरह का कोई बयान मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। इसमें आगे कहा गया कि मुख्यमंत्री का उस समय दिया गया बयान उन पर लगाए गए आरोपों के एकदम विपरीत था। मजिस्ट्रेट की अदालत ने एसआईटी के विचार का समर्थन किया।

उपरोक्त तीन कदमों ने करीब एक दशक से चल रही मीडिया बहस को खत्म कर दिया। इसके बाद कम से कम उन लोगों के लिए आत्मविश्लेषण करना आवश्यक हो गया है जिन्होंने इस झूठ को बनाए रखा या इस दुष्प्रचार का

शिकार बने। मेरा हमेशा से मानना है कि झूठे का मुंह काला और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। इसकी पुष्टि करने के लिए इससे अच्छी मिसाल नहीं हो सकती।

★★★★★